



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09032021-225740
CG-DL-E-09032021-225740

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 122]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 9, 2021/फाल्गुन 18, 1942

No. 122]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 9, 2021/PHALGUNA 18, 1942

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 मार्च, 2021

सं. 3/2021-सीमा शुल्क (सीवीडी)

सा.का.नि. 163(अ).—जहां कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने मलेशिया (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत देश से संदर्भित किया गया है), में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित तथा भारत में आयातित “टेक्सचर्ड टेम्पर्ड ग्लास” (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत माल से संदर्भित किया गया है), जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51), (जिसे एतश्मिन पश्चात उक्त सीमा शुल्क अधिनियम से संदर्भित किया गया है), की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद 7007 19 00 के अंतर्गत आते हैं, के मामले में अधिसूचना संख्या 6/13/2019-डीजीटीआर, दिनांक 11 दिसम्बर, 2020 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग I, खंड 1 में प्रकाशित अपने अंतिम निष्कर्षों में इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि-

- प्रश्नगत उत्पाद भारत को विषयगत देश से आर्थिक सहायता प्राप्त मूल्य पर निर्यात किया गया था, जिसके कारण यहां इन आर्थिक सहायता प्राप्त उत्पादों की भरमार हो गई।
- प्रश्नगत उत्पादों को आर्थिक सहायता मिलने के कारण यहां के घरेलू उद्योग को सारवान क्षति हुई है।
- यह सारवान क्षति विषयगत देश में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित विषयगत वस्तु के आर्थिक सहायता प्राप्त आयात के कारण हुई है।

और उस पर निश्चयात्मक ‘काउंटरवेलिंग ड्यूटी’ लगाए जाने की सिफारिश की है, ताकि घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर किया जा सके।

अतः, अब, सीमा शुल्क टैरिफ (सब्सिडाइज्ड वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन, और उन पर काउंटरवेलिंग ड्यूटी का संग्रहण और क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 20 और 22 के साथ पठित उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (1) और (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त अंतिम निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात, एतद्वारा, उक्त विषयगत वस्तु पर, जिनका विवरण नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है, जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के उन टैरिफ मद के अंतर्गत आती है जो कि नीचे कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है, जो कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देश में मूलतः उत्पादित है, जो कॉलम (5) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों से निर्यातित है, और कॉलम (6) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उत्पादकों से उत्पादित है और भारत में आयातित है, पर उस राशि तक की काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाती है जो कि कॉलम (7) में उल्लिखित दर से परिगणित ड्यूटी की प्रमात्रा और देय प्रतिपाटन शुल्क, यदि कोई हो, की राशि के बीच अंतर के समतुल्य हो, यथा:-

सारणी

क्र.सं.	शीर्षक/उप शीर्षक/टैरिफ मद	माल का विवरण	मूलतः उत्पादन का देश	निर्यातक देश	उत्पादक	शुल्क की राशि, सीआईएफ मूल्य के % के रूप में
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	7007 19 00	टेक्सचर्ड टेम्पर्ड ग्लास, चाहे कोटेड हो या उन्काटेड	मलेशिया	मलेशिया	झिंगयी सोलर (मलेशिया), एसडीएन. बीएचडी	9.71
2.	7007 19 00	टेक्सचर्ड टेम्पर्ड ग्लास, चाहे कोटेड हो या उन्काटेड	मलेशिया	मलेशिया	ऊपर क्रम संख्या 1 में उल्लिखित से भिन्न अन्य कोई उत्पादक	10.14
3.	7007 19 00	टेक्सचर्ड टेम्पर्ड ग्लास, चाहे कोटेड हो या उन्काटेड	मलेशिया	मलेशिया से भिन्न कोई अन्य देश	कोई भी	10.14
4.	7007 19 00	टेक्सचर्ड टेम्पर्ड ग्लास, चाहे कोटेड हो या उन्काटेड	मलेशिया से भिन्न कोई अन्य देश	मलेशिया	कोई भी	10.14

2. इस अधिसूचना के अंतर्गत लगाई गई काउंटर वेलिंग ड्यूटी इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक (यदि इसके पहले इसे वापस नहीं लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं किया जाता है या इसमें संशोधन नहीं किया जाता है तो) लागू रहेगी और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में करना होगा।

स्पष्टीकरण – इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए:-

(1) काउंटर वेलिंग ड्यूटी की गणना के प्रयोजन हेतु लागू विनिमय दर वही दर होगी जो कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, जिसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी किया गया हो, में विनिर्दिष्ट की गई होगी और इस विनिमय दर के निर्धारण की प्रासंगिक तारीख वह तारीख होगी जो कि उक्त अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र में प्रदर्शित होगी।

(2) “सीआईएफ मूल्य” से अभिप्राय उस आंकलन मूल्य से है जिसका निर्धारण सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के अंतर्गत किया जाता है।

[फा. सं. 354/15/2021-टीआरयू]

राजीव रंजन, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 9th March, 2021

No. 3/2021-Customs(CVD)

G.S.R. 163(E).—Whereas, in the matter of “Textured Tempered Glass” (hereinafter referred to as the subject goods) falling under tariff item 7007 19 00 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), originating in or exported from, Malaysia (hereinafter referred to as the subject country), and imported into India, the Designated Authority in its final findings, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, *vide* notification 6/13/2019-DGTR dated the 11th December, 2020 has come to the conclusion that-

- (i) the subject goods have been exported to India from the subject country at subsidized prices;
- (ii) the domestic industry has suffered material injury due to subsidization of the subject goods;
- (iii) the material injury has been caused by the subsidized imports of the subject goods originating in or exported from the subject country,

and has recommended the imposition of definitive countervailing duty on imports of the subject goods originating in, or exported, from the subject country.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (6) of section 9 of the Customs Tariff Act, read with rules 20 and 22 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Countervailing Duty on Subsidized Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, after considering the aforesaid final findings of the Designated Authority, hereby imposes on the subject goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under tariff item of the First Schedule to the Customs Tariff Act as specified in the corresponding entry in column (2), originating in the countries as specified in the corresponding entry in column (4), exported from the countries as specified in the corresponding entry in column (5), produced by the producers as specified in the corresponding entry in column (6), and imported into India, countervailing duty of an amount equivalent to the difference between the quantum calculated at the rate mentioned in column (7) and antidumping duty payable, if any, of the said Table, namely:-

TABLE

S. No.	Heading /Sub-heading/Tariff Item	Description of Group	Country of origin	Country of export	Producer	Duty amount as % of CIF value
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	7007 19 00	Textured Tempered Glass whether coated or uncoated	Malaysia	Malaysia	Xinyi Solar (Malaysia) Sdn. Bhd.	9.71
2	7007 19 00	Textured Tempered Glass whether coated or uncoated	Malaysia	Malaysia	Any producer other than producer mentioned at S. No. 1 above	10.14
3	7007 19 00	Textured Tempered Glass whether coated or uncoated	Malaysia	Any country other than Malaysia	Any	10.14
4.	7007 19 00	Textured Tempered Glass whether coated or uncoated	Any country other than Malaysia	Malaysia	Any	10.14

2. The countervailing duty imposed under this notification shall be levied for a period of five years (unless revoked, superseded or amended earlier) from the date of publication of this notification in the Official Gazette and shall be payable in Indian currency.

Explanation – For the purposes of this notification: -

- (1) the rate of exchange applicable for the purposes of calculation of such countervailing duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers conferred by section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under section 46 of the said Act.
- (2) “CIF value” means the assessable value as determined under section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962).

[F. No. 354/15/2021-TRU]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.